

परिशिष्ट—“अ”

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2209

क्र०	विवरण	हितग्राहियों की आयु का विवरण	पेंशन की दर
1	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 वर्ष से 18 वर्ष आयु के निःशक्त व्यक्ति जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो।</li> <li>18 वर्ष से 39 वर्ष आयु की विधवा, एवं 18 से 59 वर्ष आयु की परित्यक्त महिलाएँ,</li> <li>60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध</li> </ul>	<p>रु० 150/-</p> <p>रु० 150/-</p> <p>रु० 150/-</p>
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	<ul style="list-style-type: none"> <li>60 से 64 वर्ष,</li> <li>65 से 79 वर्ष</li> <li>80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति</li> </ul>	<p>रु० 200/-</p> <p>रु० 275/-</p> <p>रु० 500/-</p>
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	40 से 79 वर्ष	रु० 300/-
4	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना	18 से 79 वर्ष हो, निःशक्तता 80% या उससे अधिक हो।	रु० 300/-
5	मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना	योजनांतर्गत ऐसे दंपति आयकरदाता न हो, जिनकी आयु या जिनमें से किसी एक की आयु 60 वर्ष या अधिक हो तथा जिन्हें संतान के रूप में मात्र बेटी/बेटियाँ हो।	रु० 500/-
6	बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन	6 वर्ष से अधिक आयु	रु० 500/-

*खसा/6*

उप संचालक (सा०सहा०)  
वास्ते संचालक  
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन  
कल्याण, मध्यप्रदेश